रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 834] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 2006/श्रावण 9, 1928
No. 834] NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 2006/SRAVANA 9, 1928

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2006

का.आ. 1231(अ).—केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4क में "संबोध्य प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रमों का पारेषण" [जिसे इसमें इसके पश्चात् सशर्त अभिगमन प्रणाली (सीएएस) कहा गया है] परिकल्पित है ;

और, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, अधिसूचना सं0 का.आ. 39(अ) तारीख 14 जनवरी, 2003 द्वारा संपूर्ण चेन्नई और कोलकाता महानगर क्षेत्रों तथा बृहत्तर मुंबई नगरपालिका परिषद् और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में केबल आपरेटरों के लिए यह आबद्धकारी बना दिया गया है कि वे 15 जनवरी, 2003 से छह मास की अवधि के भीतर प्रत्येक पे चैनल के कार्यक्रम संबोध्य प्रणाली के माध्यम से पारेषित या पुनःपारेषित करें ;

और, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, अधिसूचना सं0 का.आ. 792(अ) तारीख 10 जुलाई, 2003 द्वारा चेन्नई और कोलकाता महानगर क्षेत्रों तथा बृहत्तर मुंबई की नगरपालिका परिषद् और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के कतिपय विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अधिसूचना सं0 का0आ0 39(अ) तारीख 14 जनवरी, 2003 के अधिक्रमण में 1 मार्च, 2003 से छह मास की अवधि के भीतर संबोध्य प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक पे चैनल के कार्यक्रम प्रसारित या पुनःप्रसारित करने के लिए अधिसूचित क्षेत्र को पुनरीक्षित कर दिया ;

भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, अधिसूचना सं0 का.आ. 271(अ) तारीख 27 फरवरी, 2004 द्वारा अधिसूचना सं0 का.आ. 792(अ) तारीख 10 जुलाई, 2003 के साथ पठित अधिसूचना सं0 का0आ0 39(अ) तारीख 14 जनवरी, 2003 के प्रवर्तन को निलंबित कर दिया ;

और, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने मैसर्स हैथवे केबल्स एंड डाटाकोम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य द्वारा फाइल की गई 2004 की सिविल रिट याचिका सं0 14464-66 में तारीख 10 मार्च, 2006 का एक आदेश पारित किया जिसमें केंद्रीय सरकार को यह निदेश दिया गया था कि वह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं0 का.आ. 792(अ) तारीख 10 जुलाई, 2003 द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में सशर्त अभिगमन प्रणाली (सीएएस) को कार्यान्वित करे ;

और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने लेटर्स पेटेंट अपील सं0 985/2006 और सिविल मामला सं0 6660/2006 और 6658/2006 में 20 जुलाई, 2006 को केंद्रीय सरकार को यह निदेश देते हुए एक आदेश पारित किया कि वह विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 10 मार्च, 2006 को पारित आदेश के निबंधनों के अनुसार, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं0 का.आ. 792(अ) तारीख 10 जुलाई, 2003 द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में 31 दिसंबर, 2006 तक सशर्त अभिगमन प्रणाली को कार्यान्वित करे जिसके लिए आवश्यक अधिसूचना 31 जुलाई, 2006 तक जारी की जाएगी ;

अतः, अब केंद्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 9 के साथ पठित धारा 4क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 20 जुलाई, 2006 के पूर्वोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, 31 दिसंबर, 2006 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है जिससे प्रत्येक केबल आपरेटर के लिए भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं0 का.आ. 792(अ) तारीख 10 जुलाई, 2003 द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पे चैनल के कार्यक्रमों को संबोध्य प्रणाली के माध्यम से पारेषित या पुनःपारेषित करना आज्ञापक होगा ।

[फा. सं. 9/16/2004-बीपीएंडएल (जिल्द-4)]

एन. बैजेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2006

S.O. 1231(E).— WHEREAS section 4A of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995) (hereinafter referred to as the Act) envisages "transmission of programmes through an addressable system" [(hereinafter referred to as the Conditional Access System (CAS)];

AND WHEREAS the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting, by notification vide number S. O. 39 (E) dated the 14th January, 2003, made it obligatory for the cable operators in the whole of Chennai and Kolkata Metropolitan areas and the areas covered by the Municipal Council of Greater Mumbai and the National Capital Region of Delhi to transmit or re-transmit programmes of every pay channel through an addressable system within a period of six months from 15th January 2003;

AND WHEREAS the Government of India, in the Ministry of Information and Broadcasting, by notification vide number S. O. 792 (E) dated the 10th July, 2003, revised the notified areas to certain specified areas in the Chennai and Kolkata metropolitan areas and the areas covered by Municipal Council of Greater Mumbai and the National Capital Region of Delhi in supersession of the notification number S. O. 39 (E) dated 14th January 2003, to transmit or re-transmit programmes of every pay channel through an addressable system within a period of six months from 1st March 2003;

AND WHEREAS the Government of India, in the Ministry of Information and Broadcasting by notification vide number S. O. 271 (E) dated the 27th February 2004, suspended the operation of the notification number 39 (E) dated the 14th January 2003 read with notification number 792 (E) dated the10th July 2003;

AND WHEREAS the Hon'ble High Court of Delhi passed an order dated the 10th March 2006 in CWP No. 14464-66 of 2004 filed by M/S Hathway Cables & Datacom Pvt. Ltd. and Others directing the Central Government to implement Conditional Access System in the areas notified vide notification number S.O. 792 (E) dated the 10th July, 2003 by Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting within four weeks;

AND WHEREAS the Hon'ble High Court of Delhi passed an order dated the 20th July 2006 in LPA no. 985/2006 & CMs 6660/2006 and 6658/2006 directing the Government of India to implement Conditional Access System by 31st December 2006 in the notified areas vide number S.O. 792(E) dated the 10th July, 2003 by the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting in terms of the order passed by the learned single judge dated the10th March, 2006 for which necessary notification shall be issued by 31st July 2006;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4A, read with section 9 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government, having been satisfied that it is necessary in the public interest so to do, and having regard to the aforesaid order dated the 20th July, 2006 of the Hon'ble High Court of Delhi hereby notifies 31st December, 2006 as the date from which it shall be mandatory for every cable operator to transmit or re-transmit programmes of every pay channel through an addressable system in the areas notified by the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting vide number S.O. 792(E) dated the 10th July, 2003.

[F. No. 9/16/2004-BP&L (Vol. IV)]

N. BAIJENDRA KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.